LEAVE OF ABSENCE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that I have received a fax message from Shri Dipankar Mukherjee stating that he is unable to attend the House due to knee surgery. He has, therefore, requested for the grant of leave of absence from all the sittings of the House during the current session. Does he have the permission of the House to remain absent from all meetings of the House during the current session?

(No hon. Member dissented)

MR. CHAIRMAN : Permission to remain absent is granted. Dr. Murli Manohar Joshi to move ...*(Interruptions)*...

SUBMISSION BY MEMBERS

The 54th Report of the Public Accounts Committee (2003-2004) which was laid on the Table of the Rajya Sabha on the 6th August, 2003

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, first let us settle the other issue which is agitating the House. We have made it very clear that there are three points on which we think that some agreement between the Government and the Opposition is necessary to create a situation whereby the Opposition can also cooperate with the Government. We have, time and again, stated that the whole matter of the PAC being denied cooperation from the Government has created a situation which has gone beyond the Defence Ministry. We were also told earlier that when Mr. George Fernandes was charged by one expose, and on subsequent developments, he had tendered his resignation. And we have heard his public statement over Doordarshan where he had stated, very categorically, that 'he is not going to come back unless he is exonerated by the Commission of Inquiry'. It did not happen, and the Prime Minister accepted his resignation. Therefore, a reasonable conclusion that one can draw is that the Prime Minister accepted that very argument. Subsequently, we had seen that the Prime Minister revoked his earlier decision and exercised his Prime Ministerial prerogative to re-induct him. Now, our point is we do not

question the Prime Ministerial prerogative as such, but, at the same time, we maintain that the Prime Minister owes an explanation to the whole nation, as to what considerations went into a revocation of his earlier position. ...*(Interruptions)*... Now, very serious allegations have come up in the CAG Report, which was under inquiry by the PAC. PAC unlike other Parliamentary Committees is a quasi-Constitutional body. Therefore, it has decided, in its wisdom, that another report, which was made by an institution commissioned by the Government, by the CVC, was necessary for its study. Whether requesting for that document was justified or not, it is a prerogative of the PAC. The Government which was, earlier, taking a position that 'this is a classified document, we cannot part with it', is, now taking a new line that there is no report! Therefore, the clarification and the reply to the whole debate on this controversy has to be given by the Prime Minister. It goes far beyond the Defence Ministry.

Sir, secondly, there was a confusion about what was really asked for and what was offered; all this is part of the verbatim proceedings of the Public Accounts Committee. Therefore, along with the Report, the entire verbatim proceedings of the PAC be tabled in the House; then, everything will be clarified.

And, thirdly, Sir, it is patently unjustified for the Government to deny this Report. Therefore, the CVC Report should be handed over by the Government to the PAC.

Sir, these are the three minimum points on which if there is an agreement with the Government, we can also cooperate, because we have been cooperating. We have been asking the Government when they propose to bring in the Constitutional amendment; so, we can pass it. It has happened in the other House. Here also, we have offered. The entire interaction and the interface between the Government and the Opposition has totally broken down, and this is a very sad day for democracy! Therefore, Sir, we, in the fitness of things, want that the Government should speak out its mind on these three conditions. If it is acceptable to the Government, we can resume the normal business and we can cooperate with the Government. ...*(Interruptions)*...

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया (झारखंड) : सभापति महोदय, पिछले दिन जब ...**(व्यवधान)**...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am asking from the Government. ...*(Interruptions)*... Sir, Mr. Ahluwalia is not part of the Government. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: He is not part of the Government. The Leader of the House is here; the Parliamentary Affairs Minister is here. They can respond. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

SHRI NILOTPAL BASU: No, Sir. I do not accept Mr. Ahluwalia's reply. ...*(Interruptions)*... Sir, the Leader of the House is here; the Parliamentary Affairs Minister is here. How can he reply? ...*(Interruptions)*... And I am now articulating, with full responsibility, the feelings of the entire Opposition. ...*(Interruptions)*...

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, मैं माननीय सांसद् श्री नीलोत्पल बसु जी की बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि विपक्ष इस व्यवधान को समाप्त करना चाहता है। सरकार तो चाहती ही नहीं कि सदन मे किसी तरह का व्यवधान चले। उन्होंने जो तीन बातें कही हैं, वे तीनों बातें आपके समक्ष रखी गई थीं और उसके बाद यह तय किया गया था कि सारे दस्तावेज़ आप देखेंगे और देखने के बाद आप जिस निर्णय पर पहुंचेंगे, सरकार उस आदेश का पालन करेगी। मैं यह चाहूंगी कि आपने अब तक वे सारे दस्तावेज देख लिए होंगे और शायद आप किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच चुके होंगे, अगर आप अपना निर्णय सदन को सुना दें तो निश्चित तौर पर सरकार उसका पालन करेगी और मैं अपील करूंगी कि विपक्ष भी उसका पालन करे तो हाउस का व्यवधान समाप्त हो सकता है। आप अगर कोई निर्णय सुनाना चाहें तो मैं उसका स्वागत करूंगी।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, most respectfully, I would like to submit, if my understanding is correct, that what transpired in your chamber, first, should not be brought here. On a number of occasions, it has happened, with reference to a classified document for which the Government is claiming privilege; that classified documents have been placed, sometimes, before the Presiding Officers; the Presiding Officer,

after going through them, has taken certain decisions, and he has taken the leaders of various political parties into confidence in his chamber. Therefore, what transpired in the Chairman's Chamber should not be brought on the floor of the House. On these three issues, which we raised, first, let there be a Government response. I don't know, till today, on the floor of the House whether the Government or the authoritative representative of the Government, either the Minister of Parliamentary Affairs or the Leader of the House, has said, "No, there is no Report on 'Operation Vijay', so far as the CVC is concerned". The Government has not categorically stated on the floor of the House that the Defence Minister will reply, and not the Prime Minister. The Government has not categorically stated on the floor of the House that it is not going to place the records of the PAC, the verbatim proceedings of the PAC, on the Table of the House. These are methods which are to be decided by the Government. We have no quarrel with the Presiding Officer. Whatever the Chair says is equally binding on that side as it is binding on this side also. Therefore, I would not like the Chair to be brought in to resolve a dispute between the two sides on the floor of the House. If some mediation is needed, if some good advice is needed, that can be done in the Chamber of the Chairman, not on the floor of the House. When you are debating on certain issues, which are essentially political issues, I don't know whether it is fair on the part of the Parliamentary Affairs Minister to drag the Chairman of the House, who is also incidentally the Vice-President of the Republic, into it...*(Interruptions)*....

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : सर, यह गलत आरोप लगाया जा रहा है। गलत आरोप है यह। ...**(व्यवधान)**... इस तरह से गलत आरोप लगाना ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, प्रणब मुखर्जी जी सदन के वरिष्ठ सांसद हैं। मैं बहुत विनम्रता से उनसे यह कहना चाहूंगी कि यह कहना कि गवर्नमेंट ने रेस्पोंड नही किया, सत्य से परे है। सदन को यह मालूम है कि रक्षा मंत्री जी...**(व्यवधान)**... जो बात उन्होने कही कि यह सच है या नही, सीवीसी की कोई रिपोर्ट 'आपरेशन विजय' पर है या नही, गवर्नमेंट इस बारे मे क्या कहना चाहती है, तो इस बारे मे बोलने वाला अधिकृत व्यक्ति कौन हो सकता है, सभापति जी? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री जी ने बाकायदा नोटिस देकर आपसे अनुमति मांगी है और उस मोशन का शीर्षक यह है कि पीएसी से उठे हुए सारे विवादो को संदेह से मुक्त करने के लिए मे एक स्टेटमेंट सदन मे देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट इससे बेहतर क्या रेस्पोंड कर सकती है कि अधिकृत मंत्री स्वयं आकर के पीएसी से उठे हुए सारे विवादो की पूरी धूल छांटना चाहते हैं, सारी बात कहना चाहते हैं। अब अगर उनको सुनना नही चाहेगे।...**(व्यवधान)**... सर, ये दोनो चीजे बिल्कुल अलग हैं। जहां तक गवर्नमेंट के रेस्पोन्स का सवाल है, गवर्नमेंट का बाकायदा नोटिस रक्षा मंत्री जी की तरफ से है, वे बताना चाहते हैं और जहां तक आपके निर्णय का सवाल

है, वह निर्णय अलग है, चूंकि दस्तावेज देखकर के आपने निर्णय सुनाना था। ये दोनो चीजे अलग अलग हैं। आप निर्णय सुनाएं, रक्षा मंत्री जी कल बयान देगे।...**(व्यवधान)**...

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. George Fernandes is the accused person. ...(*Interruptions*)... We don't know why he is there still. ...(*Interruptions*)... He said that he would not be there. ...(*Interruptions*)... सर, बीएसी में क्या होता है, उसका जिक्र नही हो सकता। ...**(व्यवधान)**... Sir, what the Parliamentary Affairs Minister is doing is wrong. ...(*Interruptions*)... She cannot refer to what transpired in the Chamber of the Chairman. ...(*Interruptions*)... सर, यह कभी नही होता। ...**(व्यवधान)**... We are not prepared to take what she says, what we should do and what we should not do. ...(*Interruptions*)... What happens in the BAC or what happens in the Chairman's Chamber is not referred to on the floor of the House. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : यह कुछ भी रिकार्ड मे नही जाएगा। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। एक मिनट।

माननीय सदस्यगण, एक बात पर विचार करे कि इस सदन मे और मेरे चैम्बर मे कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यो ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके यह कहा कि पार्लियामेट की और पीएसी की सारी पत्रावलियां देखकर इस संबंध मे आप कोई निर्णय दे। नम्बर एक। दूसरे, मैं सारी पत्रावलियां देखूं, अब मैंने सारी पत्रावलियां देख ली हैं और देखने के बाद भी अगर मैं हाऊस को जानकारी न दूं तो मै समझता हूं कि मैं हाऊस के साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए मै केवल वही जानकारी देना चाहता हूं जो मैंने पत्रावलियो मे देखी है। ...**(व्यवधान)**... देखने के बाद मे मैं आपको ...**(व्यवधान)**... आप मुझे बोलने तो दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

माननीय सदस्य, एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन ले। पत्रावलियो का निष्कर्ष यदि मैं सदन के अंदर रखूं तो आपको इस पर आपत्ति क्या है? ...**(व्यवधान)**... नही, नही। नारेबाजी नही करे। ...**(व्यवधान)**... यह गलत बात है। यदि आप इसी तरह से नारे लगाएंगे तो मुझे स्ट्रिक्ट ऐक्शन लेना पडेगा। हाऊस को चलने दीजिए। कोई डिबेट चलती है या कोई प्वाइंट उठता है, उठने दीजिए लेकिन यह तमाशा नही होगा। एक मिनट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने केवल जो पत्रावलियां देखी हैं, उसका निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि इस संबंध मे सारे मैम्बर्स पूरी तरह से परिचित हो जाएं।...**(व्यवधान)**... एक मिनट सुन तो लीजिए आप। इतनी क्या जल्दी हो रही है? ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : सर, जो सारी बातचीत हुई है वह चैम्बर मे हुई है, बीएसी मे हुई है।

श्री सभापति : बीएसी मे नही, यहां हाऊस मे मामले उठे हैं। मैं केवल आपको निष्कर्ष इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आपको आगे की डिबेट में सहायता मिलेगी।

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar) : Sir, allow us to at least put the record straight. Sir, आपको याद होगा, क्योंकि आप you are putting the Members of this House in a very awkward position. On that particular day when this issue was raised in your Chamber, Sir, you said, "I cannot resolve the issue till I actually see the papers." We, therefore, referred to what you said. We did not come to you and say that we wanted you to arbitrate the matter. We did not come to you and say, "आप फैसला कीजिए।"

श्री सभापति : मैं आपको केवल निष्कर्ष बता रहा हूं ...**(व्यवधान)**... मैं हाऊस मे बता रहा हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल : हाऊस मे कभी ऐसी बात नही हुई ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : एक मिनट ठहरिए। अगर मैं चेम्बर मे बताऊं तो चेम्बर मे केवल 10-15 लोगों को ही जानकारी होती है, अगर मैं पूरे हाऊस को बताऊं तो पूरी दुनिया को मालूम होगा ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल : हम आपको चेम्बर मे बताएंगे कि इसमे असली बात क्या है।

श्री सभापति : आपने चेम्बर में बता दिया है।

श्री कपिल सिब्बल : नही, नही ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो गोपनीय होते हैं ...**(व्यवधान)**...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JASWANT SINGH): Sir, I just wish to make one request to all the hon. Members. Hon. Pranabbabu said that the Government has not made any statement. I do not want to go into what the Government wanted to do, who gave what notice and so on. On behalf of the Government, the Minister of Parliamentary Affairs wanted to say something, and the hon. Members found it difficult to listen to her. But I do appeal to all the hon. Members that for the sake of the future of this House, when the Chairman is saying something, it is not really our function to keep cross-questioning the Chairman...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : आप सुनिए तो सही ...**(व्यवधान)**...

प्रो0 राम देव भंडारी (बिहार) : नारेबाजी भी उधर से ही हो रही है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप बैठिए, सुनिए उनको ...**(व्यवधान)**... प्रणब बाबू जब बोल रहे थे तो किसी ने नहीं टोका ...**(व्यवधान)**... बोलिए।

श्री जसवंत सिंह : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्यों को किस बात पर आपत्ति हुई और पंडित भारद्वाज जी किस बात को लेकर मुझ पर नाराज हो रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh) : I have very high regards for you, Mr. Finance Minister. We have got a great admiration for you...

श्री सभापति : वह भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: You are the leader of the House. You should not take shelter of the Chair. This is my submission.

MR. CHAIRMAN: This is no shelter...

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh): Sir, what does he mean by that? ...*(Interruptions)*...

श्री जसवंत सिंह : सभापति जी, शिकायत यह है कि मैं आपकी शरण में नहीं आऊं। मैं अगर चेयरमैन की शरण में नहीं आऊंगा तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊंगा, प्रतिपक्ष की शरण में तो जा नहीं सकता। यह जो तर्क माननीय भारद्वाज जी ने दिया है, मुझे समझ में नहीं आता। वे स्वयं विधि मंत्री रह चुके हैं। वैसे साधारणतया संसद में जो हमारी रोज़मर्रा की भाषा है, उधर के और इधर के माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि "Mr. Chairman, Sir, I want your protection." इसलिए आप यह शिकायत न करें।

मैं वास्तव में बोलना नहीं चाहता था। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मैं किसी एक सदस्य की बात नहीं कह रहा हूं, The Chair is the repository of the collective powers, prestige and the honour of all of us. And I do appeal to all the hon. Members, whether on this side or that side, that when the Chair is saying something, and we engage in cross-questioning him, I think, the functional efficiency is disturbed.

अब सरकार कुछ कहे, हम सरकार की नहीं सुनेंगे, मंत्री जी खड़े हुए, हम मंत्रीं जी की नहीं सुनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहना चाहें, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, चेयरमैन कुछ कहना चाहें तो हम उनकी बात नहीं सुनेंगे ...**(व्यवधान)**... मैं जब कह रहा हूं तो मेरी बात भी

आप नहीं सुनेंगे। ...**(व्यवधान)**... नही तो क्या सुनेंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होंगी। मेरा निवेदन है कि सदन इस प्रकार की कंडीशन की बेड़ियों से नही चलता। आप कंडीशन की बेड़ियां डाल देते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं तो नही था जिस दिन आपकी यह बैठक हुई, अब माननीय प्रणब बाबू ने कहा है कि जो चैम्बर में बातचीत होती है उसका यहां उल्लेख नहीं होना चाहिए। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता चेयरमैन सर, कई बार चैम्बर में जो बातचीत होती है उसी को यहां उल्लिखित करके सदन चलाया जाता है। इसलिए अब जब ~मको सुविधा हो उस तर्क को हम ऐसे रखें, जब सुविधा न हो ऐसे रखें। वैसे राजनीतिक तौर पर यह प्रणाली आम देखी जाती है। पर यहां एक गतिरोध है उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं वास्तव में निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि चेयर के अधिकारों पर इस प्रकार की आंच न आए यही मेरा कहना है।

श्री नीलोत्पल बसु : सर, हम नेता सदन की इज्जत करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये हमारे ऊपर यह इल्जाम लगा देंगे।

श्री सभापति : नहीं, यह इल्जाम नही है।

श्री नीलोत्पल बसु : सर, हम भी दस साल से इस सदन में हैं और नेता सदन और उनके कुलीग्ज़ के साथ हमने भी अपोजिशन बैंच से शेयर किया है। ...**(व्यवधान)**... यह कंडीशन वाली बात पहले नहीं उठती थी और हम लोगों ने ध्यान से सुना। अगर सरकार यह मीटिंग बुलाकर, प्रधानमंत्री जी हों या नेता सदन हों, अगर अपोजिशन लीडर के साथ बातचीत करके इस गतिरोध को समाप्त करने की कोई पहलकदमी करते तो यह बात बोलने का उनका पूरा हक बनता। लेकिन वह कोई भी कोशिश नहीं हुई और आज जो यहां पर गतिरोध हो रहा है यह सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण है। ...**(व्यवधान)**... इसीलिए सर, हम यह बार-बार बोलते हैं। सर, आपकी हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और जो बातचीत के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वे तमाम सारी बाते बी0ए0सी0 मीटिंग के दौरान या दूसरी बातचीत के दौरान हुई हैं। उसका जिक्र करते हुए हमे कोई सुनाना ...**(व्यवधान)**... सर, सदन में जो माहौल है, जो वातावरण है उसको ठीक करने में कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो सकता है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप लोग बैठ जाएं दो मिनट।

श्री सुरेश पचौरी : परम आदरणीय सभापति महोदय, आप उस सर्वोच्च आसन्दी पर विराजमान हैं जहां पर इस देश की महान विभूतियां सदैव विराजमान रही हैं और उन्होंने एक परम्परा कायम की है और वहां से जो निर्देशन हुआ है, जो निर्देश हुआ है उसको शिरोधार्य इस सदन के किसी भी पक्ष के सदस्य क्यों न हों, किया है, उन्होंने उसका पालन किया है। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि समय-समय पर इस सदन मे ऐसे कई अवसर आए हैं जब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। कई बार उनका निदान या समाधान चैम्बर के अंदर खोजा गया विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद, तर्क-वितर्क के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचे हैं और महोदय, ऐसी ही स्थिति बीच में आई थी उसका समाधान होते-होते रह गया। अब फिर वही परिस्थितियां आएंगी। मान्यवर, मैं

आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार इस सर्वोच्च आसन्दी से जो आप कह देंगे हमारी यह परेशानी हो जाएगी कि हम उसको अगर कंट्राडिक्ट करेंगे तो यह उस आसन्दी का अपमान होगा। ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : क्यों ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : ठहर जाओ न।

श्री सुरेश पचौरी : या तो फिर आप कह लीजिए, मैं बैठ जाता हूं। आप कहिए। हमारी तरफ से भी आप बोलते रहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप ठहर जाइए न।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मेरी भी सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : उनको बोलने दीजिए। जो बोल रहा है उनको इंटरप्ट मत कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, कुछ ऐसे बिन्दु होते हैं जिन पर प्रतिक्रिया सरकार को व्यक्त करनी होती है और जब सरकार की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया समय पर व्यक्त न की जाए तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जो इस संदर्भ में अभी हुईं। तीन मुद्दे पी.ए.सी. की रिपोर्ट से संबंधित उठे थे। उनमें से दो पर रि-एक्शन सरकार को समय रहते देना था और उनको देना था जिन पर हमको विश्वास है। मैं फिर से इसको अंडर लाइन करते हुये कह रहा हूं कि उनको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी जिन पर हमें विश्वास था। जिनके प्रश्न का उत्तर ही हम सुनने के लिए तैयार नही हैं और वे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए हम पर थोपे जायें, मैं समझता हूं कि यह उस समाधान की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं होगा, जिस समाधान की हम सब अपेक्षा करते हैं। सभापति महोदय, तीसरा बिंदु था जिसका आपने संकेत में उल्लेख किया । पहले दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर सरकार को बताना है कि वह पी.ए.सी का जो वरबैटम रिकार्ड है, जो एवीडेंस हैं, वे इस सदन के पटल पर रखे जायें। जब वे उसे पटल पर रखेंगे तभी तो सार्थक चर्चा हो पायेगी। अभी तो केवल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है। जब सदन के पटल पर वरबैटम रिकार्ड और एवीडेंस रखा जायेगा तभी सदन मे चर्चा हो सकती है। चूंकि बार-बार यह मुद्दा आया है और हमेशा हम लोगों ने प्रारम्भ से ही यह शंका व्यक्त की है कि यदि एक ऐसे व्यक्ति को दुबारा रक्षा मंत्री बना दिया जायेगा जो रक्षा मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही करायेगे तो हम उनसे कैसे उत्तर सुन सकते हैं। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, तीसरा पाइंट आपसे संबंधित था। ...(व्यवधान)... हमेशा यह व्यवस्था रही है कि जब गोपनीय दस्तावेज देखने की बात आई है, ...(व्यवधान)... निश्चित रूप से चैम्बर में आपने उन गोपनीय दस्तावेजों को देखा है और लीडर्स को, विभिन्न राजनीतिक दलो के लीडर्स को बुलाकर उनको वस्तुस्थिति की जानकारी दी है। आप जो जानकारी देंगे, हम फिर इस सदन मे इस बात को कह रहे हैं कि उस

जानकारी को देने के बाद हम आपके कथन पर विश्वास करेगे। ...**(व्यवधान)**... लेकिन इस सदन मे आपके जरिये ऐसी बात कहला दी जाए जो सरकार को कहनी चाहिये थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : यह गलत है। यह गलत कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : उसको हम कंट्राडिक्ट करें तो यह नई परम्परा होगी और आपके प्रति विश्वास मे कुछ कमी आयेगी। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सदन मे एक नई परम्परा कायम न की जाए। सदन को स्थगित करने के बाद ...**(व्यवधान)**... तीसरे बिंदु पर सदन के नेताओ से चर्चा करे और पहले दो बिंदुओ पर सरकार स्पष्ट बताये कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : बस हो गया। मैंने सुन लिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : जब पी.ए.सी. की रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो प्रधान मंत्री जी उसका उत्तर देगे या नही देगे? सारे एवीडेंस, सारे वरबैटिम प्रोसीडिंग सदन के पटल पर रखे जायेगे या नही? पहले दो बिंदुओ पर सरकार को रि-एक्शन देना होगा। ...**(व्यवधान)**... तीसरे पर, चैम्बर मे आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। ...**(व्यवधान)**... सरकार को क्या ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, सरकार अपनी बात आपकी जुबान से बाहर निकालेगी, ये जो शब्द कहे गऐ हैं। ये शब्द एक्सपंज किये जाये। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : ठीक है। चलिए। सुनिये आनरेबुल मेम्बर्स। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, विपक्ष सरकार पर आक्षेप करे यह तो हम झेल लेगे, क्योकि कही न कही हम लोगो मे यह हिम्मत है कि हम जवाब दे सकेंगे। लेकिन यह कहना कि चेयर से बात कहलवा दी जाये, यह आक्षेप सीधे-सीधे पीठासीन सभापति पर है। ...**(व्यवधान)**... यह हम बर्दाश्त नही करेगे। ...**(व्यवधान)**... सभापति जी, आप जवाब देने की स्थिति में नही हैं। ...**(व्यवधान)**... यह बहुत ही ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, जब बात यह थी कि डिसकशन पर डिसीजन कौन

देगा, यह सरकार को बताना था। ...**(व्यवधान)**... रक्षा मंत्री उत्तर देगे या प्रधान मंत्री जी उत्तर देगे। ...**(व्यवधान)**... मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि रक्षा मंत्री जी उत्तर देगे या प्रधान मंत्री जी उत्तर देगे, इसके बारे मे बताना था। ...**(व्यवधान)**... प्रधान मंत्री जी उत्तर नही देगे और रक्षा मंत्री जी उत्तर देगे, यह सरकार को बताना था। ...**(व्यवधान)**... सरकार ने इसके बारे मे कभी नहीं बताया। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, जार्ज साहब रक्षा मंत्री हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, रक्षा मंत्री जी जवाब देगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : सुरेश पचौरी जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि न तो मैं इनके प्रभाव मे आऊंगा, न इनके दबाव में आऊंगा। मैं जो व्यवस्था है उसके आधार पर चलूंगा। चाहे सरकार कितना ही प्रयत्न कर ले, वह मुझे प्रभावित नही कर सकती है, चाहे कितना ही हा-हुल्लड़ हो जाए, मुझ पर दबाव नही आ सकता है। इसलिए जो कुछ मुझे निर्देश इस हाउस ने दिया है, जो पत्रावलियां मैंने देखी हैं, उनका निष्कर्ष मैं सदन के सामने रखता हूं।

RULING BY THE CHAIRMAN

On Issues arising out of the 54th Report of the Public Accounts Committee (2003-2004) which was Laid on the Table of the Rajya Sabha on the 6th August, 2003

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on August 7, Shri Suresh Pachouri had raised the issue in the Question Hour demanding urgent discussion on the Government having not made available CVC's Report and complete documents to the PAC whose 54th Report was laid on the Table of the House the previous day (August 6).

In the afternoon of August 7, this matter was taken up in the meeting of BAC. Some Members drew attention to the fact that in the Report, PAC had observed that the Ministry of Defence had refused to supply the CVC Report on the defence deals and that in the absence of such a vital document, PAC had regretted its inability to give findings on the defence procurement transactions reported in the C&AG's Report. Some other Members stated that there was no CVC report on OP Vijay (Army) and PAC appeared to have raised an uncalled for controversy about non-submission of a report which, really, did not exist. It was, therefore, felt that the key issue was to ascertain the facts about the investigation conducted